

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/14

जयपुर, दिनांक:-31.3.97

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी की गयी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 2 में विनिर्दिष्ट व्यतिकारी करार के अधीन जारी परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के माल वाहनों पर उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर 1-4-97 से विशेष सड़क कर की दर इसके द्वारा, विहित करती है:-

सारणी

क्र.सं.	परिवहन यान का वर्णन	कर की वार्षिक दर
1	2	3
1-	<u>माल वाहक :</u>	
(i)	9000 किग्रा. तक भार वहन क्षमता के साथ	प्रति 1000 किग्रा. या उसके भाग के जिये 500/= रु.
(ii)	9000 किग्रा. से अधिक भार वहन क्षमता के साथ	प्रति 1000 किग्रा. या उसके भाग के लिये 800/= रु.

टिप्पणी :

किसी मोटर यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 1997 के अध्याय-V के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी कालावधि के लिये इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी जो समय-समय पर ऐसे यानों पर लागू थीं, संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण:

(1) किसी संलग्न यान की भार वहन क्षमता को अवधारित करने के लिये किसी ट्रक/होर्स-ट्रेलर या उसके किसी संयोजन या अनुकूलन के आर.एल.डब्ल्यू/जी.वी.डब्ल्यू और यू.एल.डब्ल्यू को साथ में लेकर विचार किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NO. F6. (179)/Pari/Tax/Hqrs/95/14

Jaipur, Dated: 31st March, 97

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 4B of the Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act 1951, (Rajasthan Act No 11 of 1951) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government hereby, with effect from 1.4.97 prescribes the rate of special road tax on Goods Carriers of other states plying on permits issued under reciprocal agreement specified in Col. No. 2 of the table appended here, at the rates specified against each in Col. No. 3 thereof:-

TABLE

S.No. 1	Description of Transport Vehicle 2	Annual rate of tax 3
1.	Goods Carriers:	
	(i) With load carrying capacity up to 9000 Kg.	Rs. 500/- per 1000 kg or part thereof
	(ii) With load carrying capacity above 9000 Kg.	Rs. 800/- per 1000 kg or part thereof

Note- In addition to tax payable under this notification there shall be paid by the owner or person having possession or control of a motor vehicle, any tax or penalty as was payable under this Act for any period prior to the coming into the force of this notification issued under the provisions of the chapter V of the Rajasthan Finance Act, 1997 at such rates as were applicable to such vehicles from time to time.

Explanation:

(i) For determining the load carrying capacity of a articulated vehicle, RLW/GVW and ULW of Truck/Horse-Trailer or any combination or adaptation thereof, together shall be taken into consideration.

By order of the Governor

(G.L. Gupta)

Deputy Secretary to Government